Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में पुलिस थाना मानपुर का हैड कानिस्टेबल 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *17 अक्टूबर, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई द्वारा आज दौसा में कार्यवाही करते हुये **अजीत सिंह जाटव हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना मानपुर, जिला दौसा** को परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में हल्की धारायें लगाने एवं मुलजिमों का नाम निकालने की एवज में आरोपी अनुसंधान अधिकारी अजीत सिंह हैड कानिस्टेबल द्वारा 20 **हजार रूपये** रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कुमार–II** के सुपरवीजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री विजय सिंह** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी अजीत सिंह हैड कानिस्टेबल को परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी हैड कानिस्टेबल द्वारा शिकायत से पूर्व **7 हजार रुपये** तथा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी **3 हजार रुपये** रिश्वत के रू॰ में वसूल कर लिये थे।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।